

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर ।

पत्र संख्या-

/एन०डी०/२०२५

दिनांक २४/१०/२०२५

-: सूचना :-

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024, पत्र संख्या-I/868657/2025/71-1005(001)/20/2021 पार्ट-1 दिनांक 03-02-2025 एवं पत्र संख्या-I/889183/2025/71-1005(001)/20/2021 पार्ट-1 दिनांक 24-02-2025 के अनुपालन में कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर में रिक्त नर्सिंग शिक्षकों के पदों (प्रोफेसर), को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु विज्ञप्ति होने के पश्चात माह के प्रत्येक बृहस्पतिवार दिनांक 30-10-2025 को प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे तक वाक-इन-इन्टरव्यू मेडिकल कालेज कानपुर के परीक्षा हॉल-3 में आयोजित किया जाना है। अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ उक्त निर्धारित वाक-इन-इन्टरव्यू में समयानुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित वाक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थी को कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा आई०एन०सी० की गाइड लाइन के अनुसार प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लाना होगा। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यदि उक्त वाक-इन-इन्टरव्यू में पद रिक्त रह जाते हैं तो उस पद का निर्धारित वाक-इन-इन्टरव्यू माह के प्रत्येक बृहस्पतिवार को सम्पन्न कराया जायेगा, पदों की जानकारी वेबसाइट कर दी जायेगी।

नोट:-जिन पदों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी उन पदों की लिखित परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जायेगा।

S. N.	Post Name	Post with Category					QUALIFICATION & EXPERIENCE
		UR	OBC	SC	ST	EWS	
1	Professor	00	00	01	00	00	10 years experience with M.Sc.(N) out of which 7 years should be teaching experience. Ph.D.(N) is desirable

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है:-

- 1-संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या-57/2022/156557/71-1005(001)/20/2021 दिनांक 15-04-2022 में दिये गये निर्धारित शर्तें लागू रहेगी।
- 2-संविदा नर्सिंग शिक्षकों के अनुमन्य नियत मानदेय पर नियुक्ति किये जाने वाले प्रोफेसर का नियत वेतन रू०-1,00,000/- प्रतिमाह है।
- 3-अर्हता का निर्धारण आई०एन०सी० मानकानुसार किया जायेगा।
- 4-आयु की गणना उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी।
- 5-संविदा के आधार पर नर्सिंग संवर्ग के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है:-
 - (क) संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले शैक्षणिक कर्मिकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा, जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
 - (ख) ड्यूटी 08 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
 - (ग) संविदा कर्मिकों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 दिन तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगी।
 - (घ) महिला संविदा कर्मिकों को गैटरनिटी लीव गैटरनिटी बेंनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।
 - (ङ) यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
 - (च) सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
 - (छ) संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
 - (ज) संविदा कर्मी सेवा में नियमितकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओं के हकदान नहीं होंगे।
 - (झ) संविदा कर्मिकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
 - (ञ) संविदा कर्मिकों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण, सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो, जो इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा० न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 01 वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।
 - (ट) लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित/नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इनकी संविदा सेवायें स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं०-308 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ/उ०प्र० आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा।
- 4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, झाँसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, एवं बदायूँ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना अपने कालेज नोटिस बोर्ड पर चस्था कराने का कष्ट करें। उ०प्र०।
- 5- प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, मेडिकल कालेज, कानपुर।
- 6- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7- कालेज नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर